न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 72 / 2024 दायर दिनांकः 10.06.2024

उनवान

1. रामकन्याबाई पुत्री परवतनाथ पत्नि शिवलाल जाति नाथ नि. बिस्मिल्लापुरा तहसील पिडावा

प्रार्थीया

बनाम

1. धन्नालाल पि. परवतनाथ जाति नाथ नि. बिस्मिल्लापुरा तहसील पिडावा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील रायपुर जिला झालावाड

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :–

वकील प्रार्थी :– श्री नीलकमल त्रिवेदी

अप्राथी :– पैरोकार सरकार

आदेश दिनांक : 31.01.2025

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि यह कि यह कि ग्राम बिस्मिल्लापुरा पटवार हल्का कोटड़ी तह० पिड़ावा में खाता संख्या 25 का खसरा नं. 44 रकबा 0.4300 है० तथा ग्राम रुपपुरा का खाता संख्या 39 का खसरा नं. 323/21 रकबा 0.3794 है०, खाता संख्या 38 का खसरा नं. 120 रकबा 0.4553 है०, खाता संख्या 37 का खसरा नं. 12 रकबा 0.5691 है०, खसरा नं. 13 रकबा 0.7082 है०, खाता संख्या 19 का खसरा नं. 97 रकबा 0.6576 है०, खाता संख्या 107 का खसरा नं. 127 रकबा 1.0117 है० आराजी है। यह कि प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थीया के पिता परवतनाथ की मृत्यु के बाद [illegible] हुआ उसमें प्रार्थीया का नाम खाता संख्या 25, 39, 38, 37, 19 [illegible] तथा खाता संख्या 107 में कचरुबाई दर्ज कर [illegible] वास्तविक नाम आधार कार्ड, राशन कार्ड, परिचय–पत्र में राम[illegible]बाई दर्ज है और

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:05:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीया का वास्तविक नाम भी रामकन्याबाई है लेकिन गलती से राजस्व रेकार्ड में प्रार्थीया का नाम कंचनबाई व कचरुबाई फौती नामांतरण दर्ज करते समय दर्ज हो गया है जो शुद्धी होकर कंचनबाई व कचरुबाई के स्थान पर रामकन्याबाई दर्ज होने योग्य है। यह कि प्रार्थीया का वास्तविक नाम रामकन्याबाई है प्रार्थीया के पिता का नाम परवतनाथ है। प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 1 में वर्णित आराजी प्रार्थीया के पिता की है जो प्रार्थीया के पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थीया के नाम दर्ज हुई है जिसमें प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज हो गया है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में पेश करना पड़ रहा है। यह कि आराजी ग्राम बिस्मिल्लापुरा व रुपपुरा पटवार हल्का कोटड़ी तह० पिड़ावा में स्थित है इसलिए सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम बिस्मील्लापुरा पटवार हल्का कोटड़ी तह० पिड़ावा में खाता संख्या 25 का खसरा नं. 44 रकबा 0.4300 है० तथा ग्राम रुपपुरा का खाता संख्या 39 का खसरा नं 323/21 रकबा 0. 3794 है०, खाता संख्या 38 का खसरा नं. 120 रकबा 0.4553 है०, खाता संख्या 37 का खसरा नं. 12 रकबा 0.5691 है०, खसरा नं. 13 रकबा 0.7082 है0, खाता संख्या 19 का खसरा नं. 97 रकबा 0.6576 है०, खाता संख्या 107 का खसरा नं. 127 रकबा 1.0117 है० आराजी में प्रार्थीया का नाम कंचनबाई व कचरुबाई पुत्री परवतनाथ के स्थान पर रामकन्याबाई पुत्री परवतनाथ शुद्ध किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से स्वीकारात्मक जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 1 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 2 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 3 स्वीकार है। यह कि प्रार्थना पत्र का पैरा नं. 4 स्वीकार है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसका नाम कंचनबाई व कचरुबाई पुत्री परवतनाथ के स्थान पर रामकन्याबाई पुत्री परवतनाथ शुद्ध किये जाने मे अप्रार्थी को कोई आपत्ति नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:05:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

3. पैरोकार सरकार पैरोकार सरकार उपस्थित। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र क. भू.अ./2024/1281 दिनांक 24.10.2024 को पेश किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में निवेदन किया कि मौके की रिपोर्ट के आधार पर ग्राम बिस्मिल्लापुरा की आराजी ख० न० 44 रकबा 0.4300 है० ग्राम रूपपुरा की आराजी ख०न० 223/21 रकदा 0.3734 है० ख.न० 120 रकबा 0.4553 है० ख.न० 12 रकबा 0.5691 है० ख०न० 13 रकबा 0.7082 हे० ० नए 97 रकबा 0.6576 हे० ख० न० 127 रकबा 1.0117 हे० में प्रार्थिया का नाम कंचनबाई/कचरूबाई वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज है। परवतनाथ पिता गुलाबनाथ जाति नाथ निवासी रूपपुरा की मृत्यु पश्चात नामा० सं० 206 दिनांक 09.12.2004 के दवारा प्रार्थिया का नाम कचरूबाई पुत्री परवतनाथ दर्ज हुआ तथा नामा० स० 139 दिनांक 22.08.1991 के द्वारा प्रार्थिया का नाम कंचनबाई पुत्री परवतनाथ दर्ज हुआ। प्रार्थिया के अनुसार शादी के पश्चात उसके सभी दस्तावेजो यथा आधार कार्ड, राशनकार्ड आदि में प्रार्थिया का नाम रामकन्याबाई पत्नी शिवलाल के नाम दर्ज हैं ग्रामवासियान से प्राप्त जानकारी प्रार्थिया का शपथ पत्र एवं ग्राम पचायत कोटडी तथा ग्राम पंचायत गैलानी से प्राप्त जानकारी के अनुसार कंचननबाई/कचरूबाई पुत्री परवतनाथ जाति नाथ एवं रामकन्याबाई पत्नी शिवलाल जाति नाथ एक ही व्यक्ति हैं तथा इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति होना जानकारी में नड़ी पाया गया है। क्योकि उक्त नाम नामां० से ही चला रहा।

4. प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में ग्राम बिस्मिल्लापुरा की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 25 एवं ग्राम रूपपुरा की जमाबंदी सं. 2072–75 के खाता सं. 39, 38, 37, 19, 107 की प्रमाणित नकले एवं ग्राम पंचायत कोटडी का प्रमाण पत्र दिनांक 27.05.2024 व ग्राम पंचायत गैलानी का प्रमाण पत्र पेश किया। साथ ही रामकन्याबाई का आधारकार्ड (824639076836), भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र (RJ/15/119/336858) की छायाप्रतियां पेश की।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:05:11 IST
Reason: SelfAttested

5. अप्रार्थी पेरोकार सरकार की ओर से पटवारी [illegible] कोटडी की रिपोर्ट, ग्राम पंचायत कोटडी का प्रमाण पत्र दिनांक 27.05.2024 व ग्राम

3

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

जाति नाथ निवारी रूपपुरा की मृत्यु के पश्चात फोती नामान्तरण दर्ज करते समय नामा० सं० 206 दिनांक 09.12.2004 से प्रार्थिया का नाम कचरूबाई पुत्री परवतनाथ दर्ज हुआ तथा नामा० स० 139 दिनांक 22.08.1991 से प्रार्थिया का नाम कंचनबाई पुत्री परवतनाथ दर्ज हुआ। प्रार्थीया के आधारकार्ड एवं भारत निर्वाचन आयोग परिचय पत्र में प्रार्थीया का सही नाम रामकन्याबाई अंकित है। ग्रामवासियान से प्राप्त जानकारी एवं ग्राम पचायत कोटडी तथा ग्राम पंचायत गैलानी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार भी प्रार्थीया का नाम कंचनबाई/कचरूबाई पुत्री परवतनाथ गलत नाम है। प्रार्थीया का सही नाम रामकन्याबाई है। कंचनबाई/कचरूबाई पुत्री परवतनाथ और रामकन्याबाई पत्नी शिवलाल जाति नाथ एक ही महिला हैं तथा ग्राम इस नाम की अन्य कोई महिला नही है। अतः प्रार्थीया के फोती नामान्तरण दर्ज करने में की गई त्रुटी को दुरूस्त किया जाना उचित होगा।

8. अभिभाषक प्रार्थी एवं पैराकार सरकार की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम रूपपुरा के नामा.सं. 139 दिनांक 22.08.1991 के अवलोकन से जाहिर है कि प्रार्थीया के पिता परवतनाथ पि. गुलाबनाथ का फोती नामान्तरण दर्ज करते समय वारीसान को जो शजरा अंकित किया है उसमें प्रार्थीया का नाम कंचनबाई दर्ज कर दिया है। इसी प्रकार नामा.सं. 206 दिनों 09.12.2004 दर्ज करते समय प्रार्थीया के पिता परवतनाथ पि. गुलाबनाथ के वारीसान को जो शजरा अंकित किया है उसमें प्रार्थीया का नाम कचरूबाई दर्ज कर दिया गया जो राजस्व कार्मिको द्वारा प्रविष्टि अंकन में की गई त्रुटी जाहिर होती है। राजस्व कार्मिको द्वारा उक्त नामान्तरण को दर्ज करते समय परवतनाथ पि. गुलाबनाथ के वारीसान के सही नाम की जानकारी प्राप्त किये बिना ही बिना किसी आधार पर प्रार्थीया का गलत नाम दर्ज कर दिया। अप्रार्थी पेरोकार सरकार ने भी अपनी गलती को स्वीकार कर नाम दुरूस्त करने की सहमति दी है। राजस्व विभाग द्वारा बिना आधार के की गई त्रुटी के लिए प्रार्थी खातेदार को दोषा रोपित नहीं किया जा सकता है। अतः राजस्व रिकार्ड में खातेदार के नाम अंकन में हुई त्रुटी को उभयपक्षकार की सहमति [illegible] 136 एलआरएक्ट के अधीन दुरूस्त किया जाना न्यायोचित होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:05:11 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

9. उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण एवं साक्ष्य के आधार पर ग्राम बिस्मिल्लापुरा के खाता संख्या 25 एवं ग्राम रूपपुरा के खाता सं. 19, 37, 38, 39, 107 में कृषि भूमि के संबंध में प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन व विष्लेषण के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 बावत दुरस्ती इन्द्राज न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। ग्राम बिस्मिल्लापुरा के खाता सं. 25 की कृषि भूमि में प्रार्थीया का नाम कंचनबाई के स्थान पर रामकन्याबाई उर्फ कंचनबाई पुत्री परवतनाथ, ग्राम रूपपुरा के खाता सं. 37, 38, 39 में प्रार्थीया का नाम कंचनबाई के स्थान पर रामकन्याबाई उर्फ कंचनबाई पुत्री परवतनाथ एवं ग्राम रूपपुरा के खाता सं. 19, 107 में प्रार्थीया का नाम कचरूबाई के स्थान पर रामकन्याबाई उर्फ कचरूबाई पुत्री परवतनाथ दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्त करे।

यह निर्णय आज दिनांक 31.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.03.03 17:05:11 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner